

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

राजस्थान, जिला

की

रोकड़ बही संख्या

ग्राम पंचायत

कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति



प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत.....
पंचायत समिति..... की इस रोकड़ बही
संख्या में पृष्ठ संख्या 1 लगायत 200 तक है एवं इसे
दिनांक को ग्राम पंचायत हेतु जारी किया गया है एवं
प्रत्येक पृष्ठ पर पंचायत समिति की गोल मोहर अंकित कर दी गई है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

कार्यक्रम अधिकारी (NREGS-R)

पंचायत समिति

नोट— ग्राम पंचायत की इस रोकड़ बही की सूचना के अधिकार के
तहत नकल भागे जाने पर तुरन्त उपलब्ध करवाई जावे। रोकड़ बही में
कही भी अंक भिटान हेतु सफेदे का प्रयोग नहीं किया जावे। किसी भी
त्रुटि पूर्ण अंकन को वर्तुल (In Circle) कर उसके उपर सही अंक
लिखकर हस्ताक्षर किये जावे।



2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नारंटी स्कीम राजस्थान, जिला

Measurement Book No.-----

माप पुस्तिका

ग्राम पंचायत.....

कार्यकर्म अधिकारी पंचायत समिति.....

प्रसारा-पत्र



नरेण्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि इस्‌माप पुष्टिका संख्या.....
में.....पृष्ठ हैं तथा दिनांक से.....प्रारंभ की
गई है।

स्थान :

दिनांक :

प्रभारी

कनिष्ठ अभियन्ता / तकलीकी सहायक
नाम.....

विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति - - - - -
नाम

नरेगा कार्य माप पुस्तिका (Measurement Book)

आवश्यक निर्देश

1. जिन व्यक्तियों को माप पुस्तिका जारी को जाए उनके नाम, भय माप-पुस्तिका की संख्या के पंचायत समिति में एक पंजिका में लिखा जाना चाहिए, विस्तृत माप केवल अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता या निर्माण कार्य के प्रभारी (Incharge of work) जिन्हें कि माप-पुस्तिका सौंपी गई है, द्वारा ही लिखे जाने चाहिए।
2. सम्पूर्ण माप केवल माप-पुस्तिका में ही स्पष्ट तौर से स्थाही से लिखे जाने चाहिए और किसी पुस्तक में नहीं।
3. चूंकि निर्माण कार्य के सम्पूर्ण भुगतान माप-पुस्तिकाओं में लिखी गई कार्य की मात्रा तथा माप पर आधारित होते हैं, अतः लिखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें सही व स्पष्ट रूप से लिखे। पहले लिये गये मापों का प्रसंग दिया जाए। यदि कार्य पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया गया है, तो निर्धारित स्थान या समाप्ति की तिथि अंकित की जाए। यदि चालू खाते के ऐसे माप पहली बार लिये गये हों या प्रथम या अंतिम माप लिये हों तो माप-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों के सामने एतदर्थ सही टिप्पणी की जानी चाहिए।
4. माप-पुस्तिकाओं के कमांक मर्शीन से लगे हुए होने चाहिए। प्रविष्टियों को निरन्तरता में लिखा जाना चाहिए। कोई पृष्ठ खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए या निकाला नहीं जाना चाहिए। यदि कोई इन्द्राज तिरछी रेखाओं में निरस्त किया जाता है तो ऐसा निरस्तीकरण सदिनांक हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्माण कार्य के विभिन्न मदों का जो विवरण माप-पुस्तिका में अंकित किया गया है वह कार्य की वित्तिय स्वीकृति एवं तकमीने के आइटम में दिये गये विवरण से मिलता है तथा पूर्णरूप से दिया हुआ है।
6. कार्यकारी संस्था एवं मेट को माप किये जाने का स्थान व समय की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए एवं जब कार्यकारी संस्था का प्रतिनिधि एवं मेट आ जाता है तो माप-पुस्तिका के नीचे उसके हस्ताक्षर स्वीकारोवित स्वरूप करवा लिये जाने चाहिए।
7. प्रत्येक माप-पुस्तिका में एक सूची-पत्र (Index) होनी चाहिये। तथा अंतिम तिथि तक लिखी होनी चाहिये।

8. सामान्यतया माप-पुस्तिका में निम्न प्रकार की त्रुटियां तथा अनियमितताएँ पाई जाती हैं :—
- (i) माप के ऊपर वित्तीय स्वीकृति कमांक व दिनांक नहीं दिया जाता है। पूर्ण की प्रविष्टियां माप लिखे जाने से पूर्व नहीं की जाती है।
 - (ii) उद्धरण (Over-writing) तथा ऊपरी लेखन किया जाता है। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक एवं आपराधिक कृत्य है। प्रत्येक उद्धरण या ऊपर लेखन पर सदिनांक हस्ताक्षर होने चाहिये।
 - (iii) माप-पुस्तिका में माप की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर दिया जाता है तथा उसी के अनुसार मूल बिल तैयार होने के बाद उसकी राशि में परिवर्तन कर दिया जाता है।
 - (iv) प्रविष्टियां तथा माप-पुस्तिका के नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिये जाते हैं ताकि बाद में अनियमितता की जा सकें।
 - (v) प्रगतिरत कार्य का तकनीकी अधिकारियों का निरीक्षण अपर्याप्त होता है।
 - (vi) कई बार स्पष्टतया ज्ञात होता है कि माप-पुस्तिका में सीधी प्रविष्टियां नहीं की जाकर कहीं अन्य-पत्र से प्रतिलिपि की गई है।
 - (vii) पहले प्रविष्टियां पेन्सिल से उतारी जाकर फिर उन्हें स्याही से लिख दिया जाता है, बिना जांच के या उचित आज्ञा के भुगतान कर दिया जाता है।
 - (viii) बिल का भुगतान किये जाने पर भी माप-पुस्तिका में पृष्ठों को रेखांकित (Crossed) नहीं किया जाता जिससे दोहरा भुगतान की सम्भावना बनी रहती है।
 - (ix) माप-पुस्तिका की जांच के लिए समय-समय पर ग्राम निगरानी समिति, सामाजिक अंकेक्षण दल एवं निरीक्षणकर्ता उच्च अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये एवं सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नकल मांगने पर नियमानुसार तुरन्त नकल दी जानी चाहिये।

सूची (Index)

क्रमांक	नाम निर्माण कार्य	माप क्षेत्र तिथि	मात्रा	पृष्ठ

NREGS-R,

ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति

निर्माण कार्य का नाम एवं यूनिक कोड नं.

कार्यकारी संस्था वित्तीय स्वीकृति संख्या व दिनांक

माप लिये जाने वाले का नाम माप लिये जाने की तिथि

पूर्व मापों का प्रसंग

मर्दों का विवरण	इकाई	वास्तविक माप का विवरण					मात्रा
		संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई		

